

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2011-12/ 2808

दिनांक:- 13.02.12

### कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक: प.149/मुसप्र/नवीन पंजी. योजना/2011-12/2808 दिनांक: 28.02.2012 के द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं/शहरों में "नवीन पंजीकरण योजनाए" प्रारंभ किए जाने हेतु स्वीकृति जारी की गई थी, जिसके क्रम सं. 8 में अलवर शहर स्थित एन.ई.बी. आवासीय योजना में अल्प आय वर्ग (जी + 2) के 96 फ्लैट हेतु पंजीकरण योजना प्रारंभ की जानी प्रस्तावित है। दिनांक 09.02.2012 को संशोधित प्लानिंग प्रोजेक्ट कमेटी की आयोजित 131वीं बैठक में उक्त योजना हेतु जारी स्वीकृति के आधार पर प्रस्तावित नवीन पंजीकरण योजना के स्थान पर निम्नानुसार "नवीन पंजीकरण योजनाए" प्रारंभ किए जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	शहर	योजना	आय वर्ग	प्रस्तावित फ्लैट की संख्या	पंजीकरण योजना का नाम	अन्य विवरण
1.	अलवर	एन.ई.बी.	अल्प आयवर्ग (जी+2)	128	एन.ई.बी. योजना (अलवर)	(पूर्व पंजीकृत आवेदकों के साथ नये आवेदकों हेतु)
			मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3)	96	पंजीकरण योजना 2012	

७६

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष, / आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता/सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0 आ0 म0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, रा0आ0म0, जयपुर को स्वीकृत योजना के कियान्वयन के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि सक्षम स्तर से योजना प्रारंभ/अन्तिम तिथि का निर्धारण करवाये, लागत निर्धारित करावे, प्रस्तावित फ्लैटों की निर्धारित समय में सही बुकलेट तैयार करावे एवं योजना प्रारंभ करने की तिथि से पूर्व जन सम्पर्क अधिकारी के माध्यम से मण्डल नियमानुसार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन करावे। योजना की बुक लेट की दो-दो प्रतियां अध्यक्ष सचिवालय/ आवासन आयुक्त प्रकोष्ठ एवं मुख्य सम्पदा प्रबन्धक प्रकोष्ठ में योजना प्रारंभ तिथि से तीन दिवस पूर्व उपलब्ध करवाना तथा अन्य वांछित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें समय पर वांछित कार्यवाही नहीं होने या गलत कार्यवाही होने पर अतिरिक्त मुख्या अभियन्ता सहित संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-पी.एण्ड एम, राज0आवासन मण्डल, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0, जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त-वृत्त-अलवर, रा0आ0म0, अलवर।
8. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-अलवर, रा0आ0म0, अलवर।
9. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करें।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक